न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–सुश्री प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–61/2022

1. बनवारीलाल पुत्र उदमीराम जाति ब्राहम्ण उम्र वर्ष निवासी 4 के एस आर बांडा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

——— प्रार्थी

बनाम्

1. मनफुलसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट उम्र वर्ष निवासी 4 के एस एम बांडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

::निर्णय:: **दिनांक–27.09.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 के एस एम तहसील अनूपगढ का खाता सं.–38 का मुरब्बा नं.–27 का पत्थर नं.–291/392 का किला नं. –1/1 का 0.151, 2/1 का 0.0093 गैर मु. वाणिज्यक, 2/2 का 0.2437, 3/2 का 0.177, 4/2 का 0.039, 5/1 का 0.228, 5/2 का 0.025 खाला, 6/1 का 0.228, 6/2 का 0.025, 7, 8, 9 प्रत्येक सालम,10/1 का 0.164, 15/1 का 0.127, 15/2 का 0.025 खाला कुल तादादी 2.201 हैक्टर कमाण्ड/गैर मुमकिन वाणिज्यक मय खाला खातेदारी दर्ज है उक्त कृषि भूमि को आईन्दा वाद पत्र मे विवादित कृषि भूमि कहा जायेगा। जमाबंदी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जो निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक प्रार्थी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है तथा प्रार्थी खातेदार कृषक होने के नाते इस कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी का खेत पडौसी है जिसके पास भी विवादित भूमि के साथ चिपती मुरब्बा नं.–290/392 भूमि है। प्रार्थी की उक्त विवादित भूमि जो मौका पर पूरी है और प्रार्थी अपनी ही भूमि पर काबिज है लेकिन अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी की उक्त विवादित भूमि को लेकर हर समय भूमि की पैमाईश को लेकर विवाद करता रहता है और हर समय किसी ना किसी बहाने प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करता रहा है जबकि अप्रार्थी सं.–01 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का दखल देने का कतई विधिक अधिकारी नही है अप्रार्थी सं.–01 ने अपने इसी उदेश्य से राजस्व एजेन्सी/पटवारी हल्का/ गिरदावर को भी अपने अनुचित प्रभाव मे ले रखा है तथा जो भी अप्रार्थी सं. –01 के अनुचित प्रभाव में आकर विधि विरूद्ध तरीके [illegible] खातेदारी भूमि की गलत पैमाईश का अप्रार्थी सं.–01 को [illegible] है। प्रार्थी यहॉ स्पष्ट करता है कि मुरब्बा नं.–291/392 व 290/392 [illegible] प्रार्थी के मुरब्बा नं.–291/392 के किला नं.–5, 6,15,16,25 पर एव अप्रार्थी सं.–1 के साथ मुरब्बा नं. –390/392 के किला नं.–1,10,11,20,21 पर सांझी बट [illegible] लेकिन अप्रार्थी सं.–01 उक्त सांझी बट को लेकर प्रार्थी से विवाद करने लगा तथा अप्राथी सं.–01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् द्वारा पैमाईश के आदेश दिए गए लेकिन अप्रार्थी सं. –01 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करके दिनांक–13.05.2022 को पैमाईश करवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

और जो पैमाईश हल्का पटवारी द्वारा मौका पर की गई वह गलत जरीब से व गलत साईड से गलत जरीब लगाकर पैमाईश की गई तथा पटवारी हल्का द्वारा जो पैमाईश की गई वह पीछे तीन मुरब्बा छोडकर पत्थर सं.–287/392 पर लगे पत्थर से एक साईड से ही पैमाईश कर उक्त मुरब्बा नं.–291/392 व 290/392 के मध्य किला नं.–5,6,15,16,25 पर सांझी बट को प्रार्थी के मुरब्बा नं.–291/392 मे होना बताया तथा यह भी बताया कि जरीब 4 इन्च छोटी है इसलिए 4 इन्च जगह प्रत्येक जरीब के अनुसार बट प्रार्थी के मुरब्बा मे निकलती है चूंकि पटवारी हल्का द्वारा एक ही साईड से पैमाईश की जानी आवश्यक है इस प्रकार उक्त तथाकथित पैमाईश दिनांक–13.05.2022 कतई गलत व विधिविरूद्ध है लेकिन अप्रार्थी सं.–01 को कोई विधिक अधिकार नही है। जबकि मौका पर प्रार्थी की फसल काश्त की हुई है किला नं.–5 मे नरमा की फसल मौजूद है यहॉ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि पूर्व मे भी तत्कालिन तहसीलदार श्री प्रहलादचन्द मीणा द्वारा दो गिरदावर व चार पटवारी की गठित टीम के माध्यम से पैमाईश करवाकर मुरब्बा नं.–291/392 व 290/392 के मध्य किला नं.–5,6,15,16,25 पर सांझी बट निकलवाई गई थी जो तब से उसी अनुरूप ही बनी हुई है लेकिन अप्रार्थी सं.–01 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करके दिनांक 13.05.2022 को पैमाईश करवाई है जो गलत है क्योंकि मुरब्बा नं.–288/392 का पत्थर जिससे तथाकथित पैमाईश की गई है वह अपनी जगह से उखाड कर पांच फुट आगे लगा हुआ है। इसलिए चक 4 के एस एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–291/392 व 290/392 का सही सीमाज्ञान जीपीएस से अप्रार्थीगण का करवाना चाहिए इस प्रकार तहसीलदार राजस्व अनूपगढ की उक्त कुल कार्यवाही विधि विरूद्ध व मनमानी है। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता है कि पूर्व में उक्त दोनों मुरब्बों की कई बार पैमाईश हो चुकी है। जिनकी प्रतियां संलग्न है अप्रार्थी सं.–01 ने अपने उक्त नापाक ईरादे से अरसा तीन दिन पूर्व भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आकर दखलन्दाजी पैदा कर दी और अप्रार्थी को सरेआम व एलानिया धमकी दी है कि उसने तहसीलदार व पटवारी हल्का से मिलकर अपनी मनमर्जी अनुसार पैमाईश करवा ली है इसलिए वह प्रार्थी के मुरब्बा नं.–291/392 के किला नं.–5,6,15 मे अवैध रूप से अतिक्रमण पर सांझी बट बनाऐगा और प्रार्थी की उक्त भूमि पर अपना कब्जा करेगा जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–01 को काफी समझाईश भी की यह प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो मौका पर पुरी है और पिछले अरसा दराज से प्रार्थी के निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त में चली आ रही है तथा जो सांझी बट निकल हुई है वह भी पूर्व पैमाईश अनुसार अपने यथा स्थान पर ही है लेकिन अप्रार्थी सं.–01 पर प्रार्थी की समझाईश का कोई असर नही हुआ। प्रार्थी की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की धमकीयां देने लगा जिस पर प्रार्थी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष पेश हुआ तो [illegible] की। प्रार्थी विवादित भूमि की खातेदार कृषक है ओर प्रार्थी क[illegible] भूमि पर शांतिपूर्वक लगातार कब्जा चला आ रहा है अप्रार्थी सं.–01 को प्रार्थी [illegible] खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि मे किसी प्रकार का कोई विधिक अधि[illegible] प्राप्त नही है लेकिन अप्रार्थी सं.–01 बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी की [illegible] में जबरन कब्जा करने की फिराक मे है तथा तहसीलदार राजस्व अनूपगढ भी अप्रार्थी सं.–01 के अनुचित प्रभाव में आकर विधि विरूद्ध पैमाईश की आड में प्रार्थी के मुरब्बा नं.–291/392 के किला नं.–5,6,15 मे अवैध रूप से अतिक्रमण कर सांझी बट बनवाने के प्रयासरत है जबकि मौका पर प्रार्थी की फसल काश्त की गई है किला नं.–5 में नरमा की फसल मौजूद है। इसलिए अप्रार्थीगण को उनके अवैध मनसूबे को रोका जाना नितांत

Priyanka

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है। अगर अप्रार्थी सं.–01 अपने उक्त नापाक इरादे मे कामयाब हो गया तो इससे प्रार्थी अपनी ही खातेदारी भूमि से महरूम हो जायेगा और प्रार्थी की काश्त फसल बर्बाद हो जाऐगी जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन वाणिज्यक के कथन दर्ज किये है। गैर मुमकिन वाणिज्यक भूमि कृषि भूमि की श्रेणी मे नही आती एवं वाणिज्यक भूमि की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्र अधिकार मे है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती के है मुझ अप्रार्थी सं.– ने किसी भी एजेन्सी को अपने प्रभाव मे नही ले रखा बल्कि भू राजस्व अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के तहत पैमाईश की कार्यवाही सक्षम अधिकारी/सक्षम कार्यालय द्वारा विधि के सामान्य अनुक्रम मे विधिवत रूप से की गई जिसका प्रार्थी को सारा ज्ञान है। प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी की जमीन को दबा रखी है एवं दबाई हुई जमीन को हडपने के उदेश्य से झुठे एवं मिथ्या कथनों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी सं.–01 के नाम से जिस मुरब्बा का विवरण दर्ज किया है वह मुरब्बा नं.–390/392 है जो गलत दर्ज किया है सांझी बट के विवाद के संबंध में मुझ अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष सीमा ज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी कमेटी गठित हुई एवं कमेटी द्वारा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए पत्थर लाईन से जरीब के द्वारा पैमाईश की गई जो जरीब इस्तेमाल की गई वह राजस्व नियमों के तहत सही इस्तेमाल की गई अगर जरीब या पैमाईश गलत होती तो प्रार्थी वहां मौका पर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता था उसके मात्र दबाई हुई जमीन के हडपने के उदेश्य से मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है चूंकि जो पैमाईश की गई वह पैमाईश कमेटी को गठित कर तहसीलदार के आदेश से की गई एवं पैमाईश यदि नियमों के तहत नही थी तो पैमाईश की अपील किए जाने के अधिकार प्रार्थी के पास थे जब पैमाईश को चुनौति देने का वैकल्पिक उपचार प्रार्थी के पास था ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है मौका पर प्रार्थी की कोई फसल काश्त नही की हुई जब प्रार्थी स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में भूमि वाणिज्यक होना दर्ज कर रहा है तो फसल काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा पटवारी हल्का से कोई मिलीभगत नही की बल्कि विधिक दृष्टि से कमेटी गठित कर भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए पैमाईश की है एवं उक्त पैमाईश को प्रार्थी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौति नही दी एव ना ही उक्त पैमाईश को शून्य [illegible] पत्र पेश किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने [illegible] किए जाने योग्य है। जो पूर्व की पैमाईश के तथ्य दर्ज [illegible] सहमति दर्ज नही की गई एवं प्रार्थी पर पैमाईश [illegible] बाहने बनाकर दबाई हुई जमीन को दबाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने पर [illegible] हो जाता है एवं जिससे दोनों परिवारों में अशांति हो जाती है अशांति न हो इसलिए मुझ अप्रार्थी सं.–01 द्वारा नियमों की पालना करते हुए तहसीलदार एवं उपजिला कलैक्टर अनूपगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किए जिस पर कमेटी गठित की जाकर मौतबिरान एवं गांव के

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्तियों के समक्ष विधिवत एवं आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप पैमाईश की गई। लेकिन प्रार्थी बार–बार पैमाईश की आड मे मन अप्रार्थी की दबाई हुई भूमि को दबाने के प्रयासरत है और इसी उदेश्य से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी को मन अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त नही है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। चूंकि प्रार्थी स्वयं द्वारा मन अप्रार्थी की भूमि अपनी भूमि की और दबा रखा है और दबाई हुई भूमि को दबाने के उदेश्य से ही प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी कतई सदभाविक नही है मौका पर प्रार्थी की कोई फसल काश्त नही है जब प्रार्थी स्वयं अपने प्रार्थना पत्र मे भूमि वाणिज्यक होना दर्ज कर रहा है तो फसल काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति संभावित नही है बल्कि अस्थाई व्यादेश जारी करने से नुकसान मुझ अप्रार्थी को ही होगा ऐसी स्थिति में मन अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है।

चूंकि पूर्व मे विधिक दृष्टि से कमेटी गठित कर भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए पैमाईश की है एवं उक्त पैमाईश को प्रार्थी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौति नही दी एवं ना ही उक्त पैमाईश को शून्य घोषित करवाने का कोई वाद पत्र पेश किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी सिनियर सिटीजन है। प्रार्थी का प्रार्थना मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 4 के एस एम तहसील अनूपगढ का खाता सं.–38 का मुरब्बा नं.–27 का पत्थर नं.–291/392 का किला नं.–1/1 का 0.151, 2/1 का 0.0093 गैर मु. वाणिज्यक, 2/2 का 0.2437, 3/2 का 0.177, 4/2 का 0.039, 5/1 का 0.228, 5/2 का 0.025 खाला, 6/1 का 0.228, 6/2 का 0.025, 7,8,9 प्रत्येक सालम, 10/1 का 0.164, 15/1 का 0.127, 15/2 का 0.025 खाला कुल तादादी 2.201 हैक्टर कमाण्ड/गैर मुमकिन वाणिज्यक मय खाला खातेदारी दर्ज है। उक्त प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जो निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक प्रार्थी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है तथा प्रार्थी खातेदार कृषक होने के नाते इस कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी का खेत पडौसी है जिसके पास भी विवादित भूमि के साथ चिपती मुरब्बा नं.–290/392 भूमि है। प्रार्थी की उक्त विवादित भूमि जो मौका पर पूरी है और प्रार्थी अपनी ही भूमि पर काबिज है लेकिन अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी की उक्त विवादित भूमि को लेकर हर समय भूमि की पैमाईश को लेकर विवाद करता किसी ना किसी बहाने प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करता रहा है जबकि अप्रार्थी सं.–01 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का दखल देने का कतई विधिक अ[illegible] है अप्रार्थी सं.–01 ने अपने इसी उदेश्य से राजस्व [illegible] को भी अपने अनुचित प्रभाव मे ले रखा है तथा [illegible] अनुचित प्रभाव में आकर विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की गल[illegible]पैमाईश का अप्रार्थी सं.–01 को वेजा फायदा पहुचाने के प्रयासरत है। प्रार्थी यहॉ स्पष्ट करता है कि मुरब्बा नं.–291/392 व 290/392 के मध्य प्रार्थी के मुरब्बा नं.–291/392 के किला नं.–5,6,15,16,25 पर एवं अप्रार्थी सं.–1 के साथ मुरब्बा नं.–390/392 के किला नं.–1,10,11,20,21 पर सांझी बट है लेकिन अप्रार्थी सं.–01 उक्त सांझी बट को लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी से विवाद करने लगा तथा अप्रार्थी सं.–01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् द्वारा पैमाईश के आदेश दिए गए लेकिन अप्रार्थी सं.–01 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करके दिनांक–13.05.2022 को पैमाईश करवाई और जो पैमाईश हल्का पटवारी द्वारा मौका पर की गई वह गलत जरीब से व गलत साईड से गलत जरीब लगाकर पैमाईश की गई तथा पटवारी हल्का द्वारा जो पैमाईश की गई वह पीछे तीन मुरब्बा छोडकर पत्थर सं.–287/392 पर लगे पत्थर से एक साईड से ही पैमाईश कर उक्त मुरब्बा नं.–291/392 व 290/392 के मध्य किला नं.–5,6,15,16,25 पर सांझी बट को प्रार्थी के मुरब्बा नं.–291/392 मे होना बताया तथा यह भी बताया कि जरीब 4 इन्च छोटी है इसलिए 4 इन्च जगह प्रत्येक जरीब के अनुसार बट प्रार्थी के मुरब्बा में निकलती है चूंकि पटवारी हल्का द्वारा एक ही साईड से पैमाईश की जानी आवश्यक है इस प्रकार उक्त तथाकथित पैमाईश दिनांक–13.05.2022 कतई गलत व विधिविरूद्ध है जो गलत है क्योंकि मुरब्बा नं.–288/392 का पत्थर जिससे तथाकथित पैमाईश की गई है वह अपनी जगह से उखाड कर पांच फुट आगे लगा हुआ है। इसलिए चक 4 के एस एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–291/392 व 290/392 का सही सीमाज्ञान जीपीएस से अप्रार्थीगण का करवाना चाहिए इस प्रकार तहसीलदार राजस्व अनूपगढ की उक्त कुल कार्यवाही विधि विरूद्ध व मनमानी है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन वाणिज्यक के कथन दर्ज किये है। गैर मुमकिन वाणिज्यक भूमि कृषि भूमि की श्रेणी मे नही आती एवं वाणिज्यक भूमि की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्र अधिकार मे है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती के है मुझ अप्रार्थी सं.– ने किसी भी एजेन्सी को अपने प्रभाव मे नही ले रखा बल्कि भू राजस्व अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के तहत पैमाईश की कार्यवाही सक्षम अधिकारी/सक्षम कार्यालय द्वारा विधि के सामान्य अनुक्रम मे विधिवत रूप से की गई जिसका प्रार्थी को सारा ज्ञान है। प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी की जमीन को दबा रखी है एवं दबाई हुई जमीन को हडपने के उदेश्य से झुठे एवं मिथ्या कथनों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण**:–यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–01 के मध्य सीमाज्ञान की पैमाईश को लेकर विवाद चल रहा है। भू.अ. निरीक्षक वृत्त बांडा की पैमाईश रिपोर्ट 09.07.2016 के अवलोकन से जाहिर है कि पूर्व में पटवारी द्वारा दिनांक 29.05.06 को [illegible] कर मध्य सीमा की निशानदेही दी गई थी, उसके बाद भी उक्त [illegible]नदेही की गई थी। उक्त रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित [illegible] मध्य निशान आज भी कायम है। दोनों मुरब्बों के पत्थर [illegible]ढ़ी होना उचित बताया गया है। अप्रार्थी के पक्ष की सीमाज्ञान की रिपोर्ट [illegible]05.2022 की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त रिपोर्ट में पूर्व की रिपोर्ट 09.07.2011 जो की भू. अ. निरीक्षक द्वारा तैयार की गई थी उसका कोई हवाला नही है ना ही इस रिकॉर्ड में यह अंकित किया गया कि वर्तमान सीमा से नवीन सीमा कितनी दूरी पर है। उक्त तथ्य मूल वाद मे तय होगे। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

2. सुविधा का संतुलन:—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है, प्रकरण में पक्षकारान के बीच सीमाज्ञान को लेकर विवाद है जब तक वाद में सीमाज्ञान/पत्थरगढी का निर्धारण नही होता है एवं ऐसी स्थिति में वाद के विचारण के दौरान यदि अप्रार्थी सं.—01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है एवं मूल वाद का निर्णयन गुणावगुण पर सुनवाई पश्चात वादी के पक्ष में होता है तो न केवल प्रार्थी को असुविधा होगी वरन् भविष्य में लिटीगेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है।

3. अपूर्णीय क्षति:—जहाँ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है दोनो पक्षकारान के बीच विवाद सीमाज्ञान को लेकर है। यदि अप्रार्थी सं.—01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थी अपने सम्पति के अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर वाके चक 4 के एस एम खता सं.—38 का मुरब्बा नं.—27 पत्थर नं. —291/392 का किला नं.—1/1 का 0.151, 2/1 का 0.0093 गैर मु. वाणिज्यक, 2/2 का 0.2437, 3/2 का 0.177, 4/2 का 0.039, 5/1 का 0.228, 5/2 का 0. 025 खाला, 6/1 का 0.228, 6/2 का 0.025, 7, 8, 9 प्रत्येक सालम, 10/1 का 0.164, 15/1 का 0.127, 15/2 का 0.025 खाला कुल तादादी 2.201 हैक्टर रकबा पर अप्रार्थी सं.—01, प्रार्थी के कब्जाकाश्त उसके उपभोग, उपयोग में किसी प्रकार वेजा मदाखलत करने से बाज व ममनू रहे एवं मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.—01 यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/09/2022 को सरेआम सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़